

## उपयुक्त सुविधा (फिट फेसिलिटी) एवं उपयुक्त व्यक्ति (फिट पर्सन) के आवेदन हेतु विज्ञप्ति

शासनादेश संख्या-11/2017/2150/60-1-17/13 (94)/17 महिला एवं बाल विकास विभाग-01 लखनऊ दिनांक 01.08.2017 जिसके द्वारा कहा गया है कि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा-51 के अन्तर्गत उपयुक्त सुविधा (फिट फेसिलिटी) एवं उपयुक्त व्यक्ति (फिट पर्सन) का चयन कर मान्यता प्रदान किया जाना है।

उक्त के क्रम में जनपद गाजियाबाद में कम से कम एक उपयुक्त सुविधा (फिट फेसिलिटी) एवं कम से कम एक उपयुक्त व्यक्ति (फिट पर्सन) का चयन/मान्यता जिला स्तर पर गठित स्कूटनी कमेटी द्वारा स्कूटनी कर पात्र पाये गये आवेदकों का चयन किशोर न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समिति द्वारा किया जाना है। उपयुक्त सुविधा एवं उपयुक्त व्यक्ति के चयन हेतु किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) आदर्श नियम 2016 के नियम-27 (2) के अन्तर्गत प्रारूप-38 पर आवेदन पत्र का प्रारूप दिया गया है तथा प्रारूप-39 पर उपयुक्त सुविधा की मान्यता का प्रमाण पत्र का प्रारूप भी अंकित है। उक्त चयन हेतु आवेदन पत्र समस्त सलग्नकों सहित रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 06.10.2017 को सायं 05 बजे तक कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी गाजियाबाद को प्राप्त हो जाना चाहिए। दिनांक 06.10.2017 को सायं 05 बजे के बाद प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

उक्त आवेदन पत्र और शासनादेश में दिये गये दिशा निर्देश एन0आई0सी0गाजियाबाद की वेबसाइट से अपलोड कर सकते हैं या कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी कक्ष संख्या-123 विकास भवन गाजियाबाद से दिनांक 20.09.2017 से प्रत्येक कार्य दिवस में प्राप्त कर सकते हैं।

  
जिला प्रोबेशन अधिकारी  
गाजियाबाद।

  
जिलाधिकारी  
गाजियाबाद।

### कार्यालय

### जिलाधिकारी

### गाजियाबाद

पत्रांक / जि0प्रो0का0/प्रेस विज्ञप्ति/2017-18 दिनांक

सितम्बर 2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित की सेवा में सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, महिला कल्याण उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।
2. निदेशक, महिला कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3. उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी मेरठ मण्डल मेरठ।
4. सहायक निदेशक सूचना गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति समाचार पत्र अमर उजाला एवं दैनिक जागरण के गाजियाबाद संस्करण में सरकारी (डी0ए0वी0) दरों पर प्रकाशित कराने का कष्ट करें तथा बिल भुगतान हेतु जिला प्रोबेशन कार्यालय में उपलब्ध करावें।
5. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी गाजियाबाद को इस आशय से कि उक्त विज्ञप्ति एवं आवेदन का प्रारूप एवं दिशा निर्देश एन0आई0सी0 गाजियाबाद की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

  
जिला प्रोबेशन अधिकारी  
गाजियाबाद।



वर्तमान में संचालित राजकीय गृहों या पंजीकृत व मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित गृहों एवं उसके संचालकों में से भी उपयुक्त सुविधा (Fit Facility) एवं उपयुक्त व्यक्ति (Fit Person) का चयन किया जा सकता है। प्रत्येक जनपद में कम से कम एक उपयुक्त सुविधा (Fit Facility) एवं उपयुक्त व्यक्ति (Fit Person) का चयन किया जायेगा। उपयुक्त सुविधा (Fit Facility) एवं उपयुक्त व्यक्ति (Fit Person) की अभिरक्षा में बच्चों के रखने की अधिकतम अवधि 30 दिन होगी, किशोर न्याय बोर्ड या बाल कल्याण समिति द्वारा विशेष परिस्थितियों में कारणों का स्पष्ट उल्लेख करते हुए बच्चे की आवश्यकता के आधार पर अवधि बढ़ाई जा सकती है। बच्चे का हित सर्वोपरि रहेगा।

### 1- उपयुक्त सुविधा (Fit Facility) :-

उपयुक्त सुविधा हेतु प्रकाशित विज्ञापन के सापेक्ष प्राप्त आवेदन पत्रों को नियम- 27(2) के अंतर्गत मान्यता के लिए आवेदन के साथ नियमों, उप नियमों, संगम-ज्ञापन, नियंत्रक निकाय, पदाधिकारियों की सूची, न्यासियों की सूची, पिछले तीन वर्षों के तुलन-पत्र, संस्था या संगठन द्वारा प्रदान की गयी सामाजिक या सार्वजनिक सेवा के पिछले अभिलेख इत्यादि की प्रतियाँ प्राप्त कर निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी :-

(1) उपयुक्त सुविधा (Fit Facility) के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित शर्तों का पूर्ण किया जाना आवश्यक है :-

1. बच्चों की देखरेख और संरक्षण के आधारभूत मानकों की पूर्ति की जायेगी।
2. उपयुक्त सुविधा (Fit Facility) में रखे गये बच्चों को आधारभूत सेवाएँ प्रदान करेंगे।
3. उपयुक्त सुविधा (Fit Facility) में रखे गये किसी बच्चे से किसी भी प्रकार की क्रूरता/शोषण/उपेक्षा या किसी भी प्रकार दुर्व्यवहार नहीं होने देगी।
4. किशोर न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समिति द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों का उपयुक्त सुविधा (Fit Facility) द्वारा अनुपालन किया जायेगा।
5. ऐसी संस्था या संगठन से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति यदि किसी अपराध में दोषी सिद्ध हुआ है या किसी अनैतिक कार्य या बच्चे से दुर्व्यवहार या बाल श्रमिक के नियोजन या नैतिक अधनता के अपराध में सम्मिलित हुआ है, तो ऐसी संस्था को उपयुक्त सुविधा (Fit Facility) के रूप में मान्यता प्रदान नहीं की जायेगी।

(2) किसी भी संस्था को उपयुक्त सुविधा हेतु मान्यता दिये जाने का विशेषाधिकार किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत किशोर न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समिति का होगा।

(3) किसी भी संस्था में उपयुक्त सुविधा (Fit Facility) के रूप में मान्यता दिये जाने से पूर्व जिला परिवीक्षा अधिकारी द्वारा उपयुक्तता के दृष्टिगत किशोर न्याय नियमावली, 2016 के



नियम- 27(4) के अंतर्गत निहित प्रारूप-39 के अंतर्गत समुचित निरीक्षण एवं जांच की जायेगी।

(4) किसी भी संस्था अथवा संगठन द्वारा मान्यता के संदर्भ में आवेदन करने के उपरान्त किशोर न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समिति द्वारा आवेदन प्राप्त होने के 15 दिनों की अवधि में निर्णय लिया जायेगा।

(5) मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था/संगठन का निरीक्षण किशोर न्याय अधिनियम की धारा-54 के अधीन जिला निरीक्षण समिति के द्वारा किया जायेगा। जिला निरीक्षण समिति द्वारा किये गये निरीक्षण में प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त होने पर मान्यता प्राप्त उपयुक्त संस्था/संगठन की मान्यता स्वतः रद्द मानी जायेगी।

(6) मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था/संगठन की सूची बाल न्यायालय, विशेष किशोर पुलिस इकाई, जिला बाल संरक्षण इकाई के अतिरिक्त किशोर न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समिति के पास रहेगी। बाल कल्याण समिति/किशोर न्याय बोर्ड अल्पकालिक पुनर्वास व्यवस्था हेतु उपयुक्त संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त संस्था/संगठन में रखने के आदेश पारित कर सकती है।

(7) मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था/संगठन के रूप में उपयुक्त सुविधा (Fit Facility) हेतु निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु बाल कल्याण समिति/किशोर न्याय बोर्ड द्वारा आदेश पारित किया जायेगा :-

1. अल्पकालिक देखरेख
2. चिकित्सीय देखरेख उपचार और विशेषीकृत उपचार
3. मनोचिकित्सीय और मानसिक स्वास्थ्य देखरेख
4. नशा मुक्ति और पुनर्वास
5. शिक्षा
6. व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास
7. गवाह संरक्षण
8. सामूहिक पालन-पोषण देखरेख (Group Foster Care)

(8) मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था/संगठन के रूप में उपयुक्त सुविधा (Fit Facility) द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवायें निम्नलिखित होंगी :-

1. भोजन, वस्त्र, जल, स्वच्छता व साफ-सफाई
2. परामर्श सहित मानसिक स्वास्थ्य कार्यकलाप
3. प्राथमिक उपचार सहित चिकित्सीय सुविधायें तथा विशेषीकृत उपचार में सहायता
4. सेतु शिक्षा (Bridge Education) तथा निरन्तर शिक्षा सहित आयु के अनुसार उपयुक्त औपचारिक शिक्षा एवं जीवन कौशल शिक्षा



5. मनोरंजन सुविधायें, खेलकूद, ललित कलायें तथा सामूहिक कार्यकलाप

(9) किसी बच्चे को उपयुक्त सुविधा (Fit Facility) में उतनी अवधि के लिये रखा जायेगा, जितनी अवधि किशोर न्याय बोर्ड या बाल कल्याण समिति को उपयुक्त प्रतीत हो।

## 2— उपयुक्त व्यक्ति (Fit Person) :-


किशोर न्याय बोर्ड अथवा बाल कल्याण समिति द्वारा उपयुक्त व्यक्ति के रूप में ऐसे व्यक्ति को मान्यता प्रदान की जायेगी, जो आवश्यक अवधि के लिये किसी बच्चे की देखभाल, संरक्षण अथवा उपचार हेतु अस्थायी रूप से लेने के लिए उपयुक्त हो।

1. किशोर न्याय बोर्ड अथवा बाल कल्याण समिति बच्चे को लेने के लिये उपयुक्त व्यक्ति की साख, सम्मान, विशेषज्ञता, व्यावसायिक अर्हतायें, बच्चों के साथ व्यवहार का अनुभव तथा उपयुक्त व्यक्ति (Fit Person) की इच्छा के आधार पर व्यक्तियों के पैनल अभिज्ञात करेगी तथा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम के प्रयोजनों हेतु उपयुक्त व्यक्तियों के रूप में उनका पता लगायेगी।
2. कोई ऐसा व्यक्ति इस नियम के अधीन किसी अपराध का आरोपी अथवा किसी अनैतिक कार्य अथवा बाल शोषण के कार्य अथवा बाल श्रम रोजगार अथवा नैतिक चरित्रहीनता के किसी अपराध में संलग्न व्यक्ति उपयुक्त व्यक्ति नहीं बन सकता है।
3. किशोर न्याय बोर्ड अथवा बाल कल्याण समिति उपयुक्त व्यक्ति (Fit Person) हेतु प्राप्त आवेदन-पत्रों की स्कूटनी के पश्चात् पात्र व्यक्तियों की साख का सत्यापन करने के बाद, तथा जहां कहीं सम्भव हो, ऐसे किसी व्यक्ति का पुलिस सत्यापन प्राप्त करने के पश्चात् बच्चों के लिये आवश्यकता के आधार पर उपयुक्त व्यक्ति के रूप में किसी व्यक्ति को नियुक्त करेगी।
4. किशोर न्याय बोर्ड अथवा बाल कल्याण समिति उपयुक्त व्यक्ति (Fit Person) द्वारा उपलब्ध करायी गयी देखभाल तथा संरक्षण के स्तर से अथवा किन्हीं अन्य कारणों से असंतुष्ट होने पर किसी भी समय उपयुक्त व्यक्ति (Fit Person) के रूप में प्रदान की गयी मान्यता को वापस लेने का तर्कसंगत आदेश पारित करेगी।
5. उपयुक्त व्यक्ति (Fit Person) की किशोर न्याय बोर्ड अथवा बाल कल्याण समिति द्वारा वापस ली गयी मान्यता की सूचना बाल न्यायालय, विशेष किशोर पुलिस इकाई और जिल-बाल संरक्षण इकाई को भेजी जायेगी।
6. वापस ली गयी मान्यता वाले उपयुक्त व्यक्ति के पास रखे गये बच्चों को किशोर न्याय बोर्ड अथवा बाल कल्याण समिति द्वारा अथवा बाल न्यायालय द्वारा किसी अन्य उपयुक्त व्यक्ति (Fit Person) के अथवा उपयुक्त सुविधा के साथ अथवा किसी बाल देखभाल संस्था के पास रखा जायेगा।



7. उपयुक्त व्यक्तियों के रूप में मान्यता प्रदान की गयी व्यक्तियों की सूची किशोर न्याय बोर्ड तथा बाल कल्याण समिति के कार्यालय और बाल न्यायालय, किशोर पुलिस इकाई, जिला बाल संरक्षण इकाई और राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी में रखी जायेगी।
8. जहां बच्चे को दूरी तथा/अथवा विषम समय की वजह से किसी बाल देखभाल संस्था में नहीं भेजा जा सकता है, वहां किशोर न्याय बोर्ड अथवा बाल कल्याण समिति अथवा बाल न्यायालय द्वारा ऐसे बच्चों को उपयुक्त व्यक्ति (Fit Person) के संरक्षण में रखा जायेगा।
9. ऐसे व्यक्ति को उपयुक्त व्यक्ति (Fit Person) की मान्यता प्रदान की जायेगी जो-
  1. बच्चे को लेने की क्षमता तथा इच्छा रखेगा, तथा
  2. बच्चे की देखभाल और संरक्षण की बुनियादी सेवायें उपलब्ध करायेगा,
10. बच्चे की आवश्यकता के आधार पर तथा उपयुक्त व्यक्ति (Fit Person) के परामर्श से किशोर न्याय बोर्ड अथवा बाल कल्याण समिति अथवा बाल न्यायालय द्वारा उपयुक्त व्यक्ति (Fit Person) के पास बच्चे के रखने की अवधि का निर्धारण किया जायेगा।
11. किसी बच्चे को 30 दिन से अधिक अवधि के लिए किसी उपयुक्त व्यक्ति (Fit Person) के संरक्षण में नहीं रखा जायेगा। किशोर न्याय बोर्ड या बाल कल्याण समिति द्वारा विशेष परिस्थितियों में कारणों का स्पष्ट उल्लेख करते हुए बच्चे की आवश्यकता के आधार पर अवधि बढ़ाई जा सकती है।
12. ऐसे मामलों में जहां बच्चे को 30 दिन से अधिक अवधि के लिए देखभाल की जरूरत है, वहां बाल कल्याण समिति बच्चे के पालन-पोषण, देखरेख प्लेसमेंट पर विचार करेगी अथवा बच्चे के लिये अन्य आवासीय विकल्पों पर विचार करेगी।

कृपया किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम- 2015 की धारा-51 के साथ पठित नियम- 2016 की धारा-27 के तहत उपयुक्त सुविधा (Fit Facility) एवं धारा-52 के साथ पठित नियम-2016 की धारा-28 के अंतर्गत उपयुक्त व्यक्ति (Fit Person) का चयन कराते हुये सूचना निदेशालय महिला कल्याण, उत्तर प्रदेश तथा महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को अतिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें। उक्तानुसार मान्यता प्राप्त उपयुक्त सुविधा (Fit Facility) एवं उपयुक्त व्यक्ति (Fit Person) की सूची एवं विवरण महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा तैयार कराये गये MIS Software पर भी अपलोड की जानी है।

भुवदीया  
  
 ( रेणुका कुमार )  
 प्रमुख सचिव।

संख्या: 2150 (1)/60-1-17, एवं तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-



[नियम 27(2)]

मान्यता प्राप्त पालन-पोषण देखरेख सहित सही सुविधा हेतु आवेदन

1.	संस्था/अभिकरण/संगठन का व्यौरा जो सही सुविधा के रूप में मान्यता प्राप्त करना चाहता है
1.क	संस्था/अभिकरण/संगठन का नाम
1.ख	प्रान्तिक अधिनियम के अंतर्गत संस्था/संगठन की पंजीकरण संख्या और पंजीकरण की तारीख (पंजीकरण के प्रासंगिक दस्तावेज, उपनियम, संध का ज्ञापन संलग्न करें)
1.ग	आवेदन/संस्था/संगठन का पूरा पता
1.घ	एसटीडी कोड/ टेलीफोन नम्बर
1.ङ	एसटीडी कोड/फैक्स नम्बर
1.च	ई-मेल का पता
1.छ	क्या संगठन अखिल भारतीय स्तर का है, यदि हां तो अन्य राज्यों में अपनी शाखाओं के पते दें
1.ज	क्या संगठन को पहले मान्यता देना अस्वीकृत कर दिया गया था? यदि हां I. आवेदन का संदर्भ नम्बर जिसके फलस्वरूप मान्यता अस्वीकृत कर दी गई थी II. अस्वीकरण की तारीख III. किसने मान्यता अस्वीकृत की थी IV. मान्यता अस्वीकृत करने के कारण
2.	प्रस्तावित सही सुविधा का व्यौरा
2.क	प्रस्तावित सही सुविधा का पूरा पता/स्थान
2.ख	एसटीडी कोड/ टेलीफोन नम्बर
2.ग	एसटीडी कोड/फैक्स नम्बर
2.घ	ई-मेल
3.	संपर्क (नाम और प्रस्तावित सही सुविधा से दूरी):
3.क	मुख्य सड़क
3.ख	बस-स्टैण्ड
3.ग	रेलवे स्टेशन
3.घ	कोई अन्य निशान
4.	अवसरचना :
4.क	कमरों की संख्या (माप के साथ उल्लेख करें)
4.ख	शौचालयों की संख्या (माप के साथ उल्लेख करें)
4.ग	सर्वाई धरों की संख्या (माप के साथ उल्लेख करें)

4.घ	रोगी बलों की संख्या	
4.ङ	भवन के ब्लू प्रिंट की प्रति संलग्न करें (भवन का प्रामाणित तस्का)	
4.च	अप्रत्याशित आपदाओं से निपटने के लिए व्यवस्था, व्यवस्था के प्रकार का भी उल्लेख किया जाए : I. आग II. भूकंप III. कोई अन्य व्यवस्था	
4.छ	पंजीकरण की व्यवस्था लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग (पीएचई) विभाग का प्रमाण पत्र संलग्न करें	
4.ज	साफ-सफाई एवं स्वच्छता बनाए रखने के लिए व्यवस्था : I. सीट नियंत्रण II. कचरा निस्तारण III. अपहरण क्षेत्र IV. कोई अन्य व्यवस्था	
4.झ	किराया करारनामा/भवन अनुरक्षण (जो भी लागू हो) (किराया करारनामा की प्रति संलग्न करें)	
5.	सही सुविधा की क्षमता	
6	उपलब्ध सुविधाएं (उस प्रयोजन पर निर्भर करेगी जिसके लिए सही सुविधा के रूप में मान्यता दी जाती है)	
6.ग	कोई अन्य सुविधा जो बालक के समग्र विकास पर प्रभाव डालेगी	
7.	कर्मचारी	
7.क	कर्मचारियों की विस्तृत सूची	
7.ख	भागीदार संगठन का नाम	
8	आवक की पृष्ठभूमि	
8.क	पिछले दो वर्षों के दौरान संगठन के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का	
8.ख	संलग्न प्रारंभ में प्रबंधन समिति/आयी निवाय के सदस्यों की अद्यतन सूची (वार्षिक बैठक का संकल्प संलग्न करें)	
8.ग	संगठन की परिसंपत्तियों/अवसंरचना की सूची	
8.घ	यदि संगठन विदेशी अभिदाय (रिनियमन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत पंजीकृत है (पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करें)	
8.ङ	पिछले दो वर्षों के दौरान प्राप्त विदेशी अभिदाय का व्योम (प्रामाणिक दस्तावेज संलग्न करें)	
8.च	स्वीम/परियोजना का नाम, प्रयोजन, राशि आदि (अलग-अलग) के साथ निधियन कर रहे महायतानुदान के अन्य स्रोतों की सूची (यदि कोई हो)	
8.छ	शाखा कोड, खाता संख्या दर्शाने हुए अभिकरण के मीजूदा बैंक खाते का व्योम	
8.ज	क्या अभिकरण प्रस्तावित अनुदान के लिए अलग में बैंक खाता खोलने के लिए महत्तम है	
8.झ	पिछले तीन वर्षों के लेखों की फोटोप्रति संलग्न करें : I. लेखा परीक्षारिपोर्ट II. आय एवं व्यय खाता III. प्राप्त एवं भुगतान खाता IV. संगठन का तुलना पत्र	

मैंने किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 और किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2016 पढ़ लिए हैं और समझ लिए हैं।



.....(संगठन/संस्था का नाम) ने किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 और किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2016 के अंतर्गत सही सुविधा के रूप में मान्यता प्रदान करने के लिए सभी अपेक्षाओं को पूरा कर लिया है।

मे घोषणा करता/करती हूँ कि संगठन से संबंध कोई भी व्यक्ति पहले दोषसिद्ध नहीं किया गया है अथवा बाल दुर्व्यवहार के किसी कार्य में अथवा बाल शर्मियों के नियोजन में अथवा नैतिक चरित्रहीनता से जुड़े किसी अपराध में संलिप्त रहा है और कि संगठन को किसी भी समय केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है।

मे केंद्रीय/राज्य अधिनियम, नियम, दिशानिर्देशों और इस संबंध में जारी अधिसूचनाओं द्वारा निर्धारित सभी शर्तों का अनुपालन करने का यत्न देता हूँ।

मे समय-समय पर किशोर न्याय बोर्ड अथवा बाल कल्याण समिति द्वारा पारित किए गए आदेशों का अनुपालन करने का यत्न देता हूँ।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर: .....

नाम:

पदनाम:

पता:

जिला:

तारीख:

कार्यालय मुद्रा:

हस्ताक्षर:

संचाह नं. 1: .....

संचाह नं. 2: .....